

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद।

पत्रांक:-...../न0नि0

सेवा में,

श्री युमाल बिशोइ अग्रवाल प्रिन्स कालेज कलेज अग्रवाल
मिस्त/पति 2. श्री रती उमरा शर्मा पति श्री चण्डेश्वर खर मजराई शर्मा
पता काला पायर
पास, धनबाद

धनबाद, दिनांक:-

विषय:- आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक/संरक्षित भवन निर्माण हेतु गृह प्लान केश नं0 बी0डी0- 836/11-12
संबंधी आपके आवेदन दिनांक- 2.6.14 के संबंध में।

महोदय,

10127/17-10-11 &

आपके आवेदन, दलील संख्या-10715/25.10.14 दाखिल खारिज अभिलेख संख्या-4743, 4737 (11)-12
जमाबंदी संख्या- 940 & 934 से निर्गत लागान रसीद वर्ष 14-15 की अभिप्रमाणित प्रति, शपथ पत्र एवं
Indemnity Bond एवं तकनीकी सदस्य द्वारा किये गये अनुशंसा के आलोक में आपके द्वारा प्रस्तुत आवासीय/
व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संरक्षित भवन संबंधी बी0डी0 केश नं0- 836/11-12 के नक्शे की स्वीकृति प्रबन्ध निदेशक,
खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार, धनबाद द्वारा प्रदान की गई है।

निदेशानुसार सूचित करना है कि काला पायर नं0- 25 मौजा अन्तर्गत खाता नं0- 06
प्लॉट नं0- 1394, 1395 रकवा 40 बी० भूमि पर स्वीकृत नक्शे के
अनुसार लाईसेंस अग्रिमता श्री एस. एस. मुखर्जी की देख-रेख में कार्यान्वयन के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में
अधोहस्ताक्षरी को कार्यान्वयन की जानकारी उपलब्ध करायेंगे। स्वीकृत नक्शे के अनुसार अधिकतम 2 (दो) वर्षों में कार्य पूर्ण कर
अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्माण पूरा होने की लिखित जानकारी अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करेंगे।

प्रबन्ध निदेशक के लिखित पूर्वानुमति के वेगैर किये गये किसी भी विज्ञलित निर्माण का नियमित नहीं किया जा सकेगा,
वरन् उसे तोड़ना ही एकमात्र विकल्प होगा।

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार के संबंधित पदाधिकारी से निर्माण कार्य का निरीक्षण समय-समय पर कराना सुनिश्चित
करेंगे।

आप स्वीकृत नक्शे में दर्शाये वाली से हटकर अन्य नाली का निर्माण नहीं करेंगे।

नगर निवेशन विनियमन के दायरे में आवासीय/ व्यवसायिक/ औद्योगिक/ संरक्षित भवन निर्माण हेतु स्वीकृत नक्शा, स्वत्व,
दाखिल का प्रमाण नहीं है।

निर्देश प्रयोजन के लिये भवन निर्माण का नक्शा किया गया है निर्मित भवन का व्यवहार उसी प्रयोजन के लिये किया जा
सकेगा। भवन प्लान की स्वीकृति से आवेदक का प्रश्नगत भूमि पर भूस्वामित्व का प्रमाण स्थापित नहीं होगा।

जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंध के लिये आप स्वयं जिम्मेवार रहेंगे तथा स्वीकृति आदेश राज्य
सरकार/ गैशालन डिजिंडिंग बोर्ड के अद्यतन आदेशों, निदेशों एवं प्रावधानों से स्वतः प्रभावित होगा।

आवेदक द्वारा उपकर के मद में 25% कुल रू0 13800/- जमा किया गया है। शेष राशि आवेदक द्वारा
आवश्यक श्रमायुक्त धनबाद के कार्यालय में जमा करना स्वयं सुनिश्चित करेंगे।

४

कार्यपालक अभियन्ता,

नगर निवेशन

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद।

आवेदक टी0पी0 118 / नगर निवेशन,

दिनांक:- 11 / 12 / 14

प्रतिलिपि:- श्री एस. एस. मुखर्जी लाईसेंस अग्रिमता, धनबाद।

प्रतिलिपि:- सहायक श्रमायुक्त, धनबाद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियन्ता

नगर निवेशन

खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार,

धनबाद।